न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या– 2022/262

1. रामराय आत्मज नारायण जाति धाकड़ निवासी समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. कमलेश आत्मज नारायण जाति धाकड़ निवासी समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. दिलबर आत्मज नारायण जाति धाकड़ निवासी समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. द्वारिका पत्नी लादूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. प्रकाश आत्मज गोपाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. कृष्णा पुत्री प्रकाश जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
4. पंकज आत्मज प्रकाश नाबालिग जर्ये वली संरक्षक पिता प्रकाश जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
5. रमेश आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
6. अयोध्या पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला बून्दी(राज0)।
7. गीता पुत्री जगन्नाथ पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
8. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1.महेन्द्र कुमार शर्मा– अधिवक्ता अपीलांटगण
2.महेश योगी–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2
3.पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8

निर्णय **दिनांक 23.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 163/प्रार्थना–पत्र/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम समीधर तहसील नैनवां मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की खातेदारी की खसरा सख्ंया 693 व अप्रार्थीगण संख्या 4 से 5 की खातेदारी की खसरा सख्ंया 692 कृषि भूमि स्थित है। खसरा सख्ंया 710 मे दर्ज खातेदार संतरा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिस प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2, 3 व 4 है। खसरा सख्ंया 694, 695 एवं 710 मे आने–जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम समिधि से रोहित जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा सख्ंया 692 व 693 के पूर्वी मेर पर होता हुआ खसरा सख्ंया 694 पर पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट 'अ' मे लाल रंग से दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण के मन मे बदनियती आ गई है इस कारण अप्रार्थीगण अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने–जाने हेतु रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है, जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। अन्त मे प्रार्थीगण की आराजीयात मे आने जाने हेतु विद्यमान उक्त रास्ते का 15 फीट चौड़ा किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 7 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। दिनांक 29.10.2021 को पत्रावली

लोक अदालत कैम्प कोर्ट समीधी मे रखी गई एवं दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गावों के संग केम्प कोर्ट समीधी के तहत प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय 29.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 4 से 6 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1, 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनिमय मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 69 के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनके खातेदारी की भूमि तक जाने हेतु अनादिकाल से रास्ता बना हुआ है, तथा रास्ते की भूमि खसरा संख्या 692, 693 की पूर्वी मेड पर होता हुआ खसरा सख्या 694 तक पंहुचता है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की कृषि भूमि पर जाने हेतु खसरा संख्या 692, 693 से रास्ता बना हुआ है एवं प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 530 एवं खसरा संख्या 529 का कतई कोई हवाला नहीं है। इसके बावजूद खसरा सख्या 530 व

529 मे से रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट कमांक 482 दिनांक 15.04.2021 की मौका रिपोर्ट मे खसरा संख्या 530 मे से बिस्वा भूमि को भी प्रस्तावित रास्ते सम्मिलित किया गया है। खसरा संख्या 530 के खातेदारान गोपीकृष्ण वगैरह को उक्त प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहिन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र मे खसरा संख्या 692, 693 मे स्थित रास्ते के सुखाधिकार के संबंध मे एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है तथा सुखाधिकार से संबंधित वाद सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वाद कारण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है एवं दिनांक, समय भी अंकित नहीं किया गया है जिससे वाद कारण के अभाव मे माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022(2) प्रस्तुत किया गया। अन्त मे अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने–जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने–जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट पक्षकारान व मौतबिरान की उपस्थिति मे विधिवत तैयार की गई है। विधिवत रूप से तैयार उक्त मौका रिपोर्ट मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की आराजीयात मे आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता अपीलांटगण की भूमि मे स्थित होना उल्लेखित है। मौका रिपोर्ट मे उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने जाने हेतु रास्ता मौके के अनुसार अपीलांटगण अप्रार्थीगण की आराजीयात मे से प्रस्तावित किये जाने का अंकन है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण अप्रार्थीगण की आराजीयात मे कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट के तहत उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की

ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली जवाब अप्रार्थीगण मे विचाराधीन थी। विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2021 से पूर्व कब प्राप्त हुई। उक्त प्राप्ति दिनांक अधीनस्थ न्यायालय की ओदशिका पर अंकित नहीं है। तथा उक्त मौका रिपोर्ट का अप्रार्थीगण अपीलांटगण को अवलोकन करवाया जाना भी स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट पर अपीलांटगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध मे अप्रार्थीगण अपीलांटगण को सूचित किया जाना भी स्पष्ट नहीं है। यदि अपीलांटगण अप्रार्थीगण मौका रिपोर्ट तैयार करते समय मौके पर उपस्थित नहीं हुए तो उनको नियमानुसार आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। आदेशिका दिनांक 07.09.2021 मे पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.12.2021 की होना अंकित है परन्तु पत्रावली इससे पूर्व ही प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट समिधि तहसील नैनवां मे दिनांक 29.10.2021 को रखी जाकर निर्णित कर दी गई। केम्प–कोर्ट के जारी नोटिस की विधिवत तामील स्पष्ट नहीं है। आदेशिका दिनांक 29.10.2021 में केवल एक प्रार्थी पक्षकार प्रकाश नागर S/O गोपाल अंकित है। इसके अतिरिक्त किसी भी पक्षकार के आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं है। अतः आदेशिका दिनांक 29.10.2021 से प्रतीत होता है कि ना तो सभी अपीलांटगण और ना ही रेस्पोडेन्टगण स्वयं उपस्थित थे और न ही उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित थे। अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करना भी आदेशिका पर अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति मे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना उचित है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 163/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे।

उभय पक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 29.03.2023 को उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 23.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा